

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 30/9/09


कमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./67/09//206

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम कमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।
2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।

स. क.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीमती उपमा वर्मा (अंग्रेजी)	AF 9205	शास.बा.उ.मा.वि. अनगौर जिला छतरपुर	2309077705	शास.उ.मा.वि.क्र.2 छतरपुर जिला छतरपुर	23090577702
2	श्रीमती शांती चतुर्वेदी (जीवविज्ञान)	AN 7340	शास.क.उ.मा.वि. तेवरी जिला कटनी	23380177704	शास.उ.मा.वि. गोसलपुर जिला जबलपुर	23390577712
3	श्रीमती प्रीति सोनी (अंग्रेजी)	AQ 9336	शास.उ.मा.वि.भैसोदा तह-भानपुरा जिला मंदसौर	23190177704	शास.क.उ.मा.वि. भानपुरा-जिला मंदसौर	23190177702
4.	श्री सुधीर कुमार गंगेले (गणित)	AH 8103	शास.उ.मा.वि.बासा तारखेडा जिला दमोह	23120377708	शास.जे.पी.बी.क.उ. मा.वि.दमोह जिला दमोह	23123077705
5	श्रीमती दुर्गा अग्रवाल (रसायन)	AH 8102	शास.उ.मा.वि.बासा तारखेडा जिला दमोह	23120377708	शास.उ.मा.वि. दमोह जिला दमोह	23120377703
6	श्रीमती आभा जैन (अर्थशास्त्र)	BD 9297	शास.उ.मा.वि. बिछडोद जिला उज्जैन	अप्राप्त	शास.उ.मा.वि. माधवगंज जिला उज्जैन	23210777710

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"



लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल, दिनांक 30/9/09

पृष्ठा.कमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./67/09//207 1
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला छतरपुर/कटनी/जबलपुर/उज्जैन/दमोह/मंदसौर।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला छतरपुर/कटनी/जबलपुर/उज्जैन दमोह/मंदसौर।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय सागर/जबलपुर/उज्जैन।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला छतरपुर/कटनी/जबलपुर/उज्जैन दमोह/मंदसौर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर/कटनी/जबलपुर/उज्जैन दमोह/मंदसौर। म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के

पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। एवं संबंधित से स्वयं का संस्था प्रधान से प्रमाणित आवेदन पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संचालनालय को तत्काल भेजे ।

8. संबंधित प्राचार्यो की ओर सूचनार्थ एवं आदश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की आर सूचनार्थ ।


आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.